[2019] 13 एस. सी. आर 357

आईटीसी लिमिटेड

वी.

केंद्रीय आयुक्त, कोलकाता IV

(सिविल अपील सं। 293-294 2009)

सितंबर 18,2019

[अरुण मिश्रा, नवीन सिन्हा और

इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-ss. 17 और 27 (वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधन से पहले और बाद में दोनों)-शुल्क का आकलन-दावा

शुल्क की वापसी के लिए-अपील में मूल्यांकन के आदेश को किसी भी चुनौती की अनुपस्थिति-निर्धारित शुल्क के खिलाफ धनवापसी आवेदन की रखरखाव-तथ्यों पर, अपीलकर्ता-कागज निर्माता, अपने कारखाने से साफ किए गए कागज पर शुल्क का भुगतान-एक अधिसूचना द्वारा, अपीलार्थी ने शुल्क से पूरी छूट का लाभ उठाया-विभाग से पत्र प्राप्त होने पर, अपीलार्थी ने अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठाने में अपनी गलती का एहसास किया और बेकार कागज/टूटे हुए पर शुल्क का भुगतान करना शुरू कर दिया-इसके बाद, अपीलार्थी ने शुल्क के संबंध में जुलाई 2001 से मार्च 2002 की अवधि के लिए धनवापसी का दावा दायर किया।

उक्त अपशिष्ट पत्र पर भुगतान-मूल्यांकन समिति, अपील आयुक्त और न्यायाधिकरण द्वारा दावे की अस्वीकृति-अपील

इसके विरुद्ध अनुमति-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः धनवापसी के दावे पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि मूल्यांकन या स्व-मूल्यांकन का आदेश लागू न हो।

कानून का सहारा लेकर संशोधित किया गया

उचित कार्यवाही-यह एस के केन के भीतर नहीं होगी। 27 को

स्व-मूल्यांकन के आदेश को अलग रखें और धनवापसी करने के लिए कर्तव्य का पुनर्मूल्यांकन करें-यू / धारा 27 का उपयोग प्रविष्टि के बिल में संशोधन या संशोधन के अभाव में नहीं किया जा सकता है, जिसके आधार पर स्व-मूल्यांकन किया गया है-स्व-मूल्यांकन के आदेश का पालन करना आवश्यक है जब तक कि धनवापसी के दावे पर विचार करने से पहले संशोधित नहीं किया जाता है। एस. 27-यदि कोई व्यक्ति किसी भी आदेश से व्यथित है जिसमें स्व-मूल्यांकन शामिल होगा, तो उसे यू/एस के तहत आदेश को संशोधित करना होगा। 128 या अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत-इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है और उच्च न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया जाता है और धनवापसी के लिए आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (2) की संशोधित परिभाषा से यह स्पष्ट है कि स्व-मूल्यांकन, अनंतिम मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और कोई भी मूल्यांकन जिसमें निर्धारित शुल्क शून्य है, एक है।

मूल्यांकन। मूल्यांकन में स्व-मूल्यांकन शामिल है, जब स्व-मूल्यांकन का प्रावधान धारा 17 (1) में शामिल किया गया है, और धारा 2 (2) में मूल्यांकन की परिभाषा में संबंधित परिवर्तन किया गया है। इससे पहले स्व-मूल्यांकन शब्द को मूल्यांकन की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था। [पैरा 23]

[372 - जी]

यथास्थिति विधेयक धारा 17 (5) में दिए गए प्रावधान के अनुसार हो सकता है। [पैरा 32] [382-सी-एफ] 1.3 2011 के वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 17 के प्रावधानों के तहत, धारा 17 (1) में आयातक या निर्यातक द्वारा ऐसी वस्तुओं पर शुल्क का स्व-आकलन करने का प्रावधान किया गया है। स्व-मूल्यांकन आई. टी. सी. लिमिटेड v के अनुसार एक मूल्यांकन है।

केंद्रीय आयुक्त, कोलकाता IV

धारा 2 (2) की संशोधित परिभाषा। यह भी प्रावधान किया गया है कि उचित अधिकारी ऐसी वस्तुओं के स्व-मूल्यांकन को सत्यापित कर सकते हैं, और

इस उद्देश्य के लिए, किसी भी आयातित वस्तु या निर्यातित वस्तु या उसके ऐसे हिस्से की जांच या परीक्षण करें जो आवश्यक हो। स्व-मूल्यांकन को सत्यापित करने की शक्ति उचित अधिकारी के पास होती है और उस उद्देश्य के लिए धारा 17 (3) के तहत, वह आयातक, निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसी जानकारी, आदि प्रदान करें। यदि सत्यापन पर उचित अधिकारी ने माल की जांच या परीक्षण या उसके हिस्से के रूप में पाया है

या अन्यथा कि स्व-मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया गया है, उचित अधिकारी किसी अन्य कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कर सकता है जो

अधिनियम के तहत लिया जा सकता है, ऐसी वस्तुओं पर देय शुल्क का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकता है। अधिनियम की धारा 17 (5) यथासंशोधित यह प्रावधान करता है कि जहां उप-धारा 17 (4) के तहत किया गया पुनर्मूल्यांकन आयातक या निर्यातक द्वारा किए गए मूल्यांकन के विपरीत है

उसमें निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, उचित अधिकारी को 15 दिनों के भीतर पुनर्मूल्यांकन पर एक बोलने का आदेश पारित करना होता है। प्रविष्टि के बिल या शिपिंग बिल के पुनर्मूल्यांकन की तारीख, जैसा भी मामला हो। संशोधित धारा 17 के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधन से पहले आयात या निर्यात धारा 17 के असंशोधित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। [पैरा 33] [382-जी-एच; 383-ए-सी]

1.4 धारा 18 शुल्क के अनंतिम मूल्यांकन से संबंधित है जहां आयातक या निर्यातक स्व-मूल्यांकन करने में असमर्थ है।

या उचित अधिकारी किसी भी आयातित या निर्यात माल को किसी भी रासायनिक या अन्य परीक्षण के अधीन करना आवश्यक समझता है; या जहां उचित अधिकारी द्वारा आगे की जांच आवश्यक समझी जाती है। [पैरा 34] [382-डी]

1.5 वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधन से पहले अधिनियम की धारा 27 में धनवापसी प्रक्रिया का प्रावधान था। कोई भी व्यक्ति शुल्क और ब्याज की वापसी का दावा कर सकता है यदि इस तरह के शुल्क पर कोई भुगतान किया गया हो। शुल्क और ब्याज की वापसी यदि मूल्यांकन के आदेश के अनुसार कोई भुगतान किया गया है या उसके द्वारा वहन किया गया है, तो सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त को ऐसे शुल्क की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीमा शुल्क आयुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या सरकार द्वारा या किसी शैक्षिक, अनुसंधान या धर्मार्थ [2019] द्वारा किए गए किसी भी आयात के मामले में एक वर्ष के भीतर 13 एस. सी. आर.

संस्थान या अस्पताल। अन्य किसी भी मामले में शुल्क और ब्याज के भुगतान की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले। उसे आगे यह संतुष्ट करना होगा कि उसने इस तरह का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया है। एक वर्ष या छह महीने की सीमा लागू नहीं होगी जहां विरोध के तहत कोई शुल्क और ब्याज का भुगतान किया गया है। धारा 27 के दूसरे परंतुक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि -

अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी भी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश के परिणामस्वरूप धनवापसी आवश्यक हो जाती है, एक वर्ष या छह महीने की सीमा ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश की तारीख से शुरू होगी। [पैरा 35] [383-ई-एच]

1.6 वित्त द्वारा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27

अधिनियम, 2011 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने द्वारा भुगतान किए गए या वहन किए गए किसी भी शुल्क या ब्याज की वापसी का दावा करता है, वह ऐसे शुल्क या ब्याज के भुगतान की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले सहायक या सीमा शुल्क उपायुक्त को ऐसे धनवापसी के लिए निर्धारित प्रपत्र और तरीके से आवेदन कर सकता है। यदि वित्त विधेयक से पहले धनवापसी के लिए आवेदन किया गया है राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने पर, यह माना जाता है कि यह धारा 27 (1) के प्रावधान के तहत दायर किया गया है और धारा 27 (2) के तहत निपटा जाएगा। एक वर्ष की सीमा अवधि

धारा 27 के प्रावधानों द्वारा प्रदान की गई गणना उन वस्तुओं के मामले में की जानी चाहिए जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है धारा 27 (1ख) (क) में दिए गए आदेश के जारी होने की तारीख से धारा 25 (2) के तहत जारी विशेष आदेश। जहां किसी निर्णय, डिक्री के परिणामस्वरूप शुल्क वापसी योग्य हो जाता है,

अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी भी न्यायालय के आदेश या निर्देश, एक वर्ष की सीमा की गणना ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश की तारीख से की जाएगी। धारा 27 (1ख) (ग) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां धारा 18 के तहत किसी शुल्क का अस्थायी रूप से भुगतान किया जाता है, वहां एक वर्ष की सीमा की गणना शुल्क के समायोजन की तारीख से उसके अंतिम मूल्यांकन के बाद या पुनर्मूल्यांकन के मामले में, ऐसे पुनर्मूल्यांकन की तारीख से की जाएगी। धारा 27 के दूसरे परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि 1 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी जहां विरोध के तहत कोई शुल्क या ब्याज का भुगतान किया गया है। [पैरा 36]

[384 - ए-डी] आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम।

केंद्रीय आयोग के आयुक्त,

कोलकाता IV

1.7 धारा 27 (2) (ए) के तहत यह बाध्यकारी है -

आवेदक को यह संतुष्ट करने के लिए कि शुल्क या ब्याज की राशि जिसकी

धनवापसी का दावा किया गया है, उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया था, इस प्रावधान का उद्देश्य अन्यायपूर्ण संवर्धन को रोकना है। नहीं। इसके बारे में संदेह है कि वह अभिव्यक्ति जो पहले धारा 27 (1) (i) में उपयोग की गई थी कि "मूल्यांकन के आदेश के अनुसरण में" धारा 27 के संशोधित प्रावधान से हटा दी गई है।

स्व-मूल्यांकन के संबंध में प्रावधान की शुरूआत करना। हालाँकि, चूंकि स्व-मूल्यांकन फिर भी मूल्यांकन का एक क्रम है, इसलिए उपरोक्त अभिव्यक्ति को हटाकर कोई अंतर नहीं किया जाता है क्योंकि स्व-मूल्यांकन के मामले में किसी अलग तर्कपूर्ण मूल्यांकन आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है। धनवापसी के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि यह कमोबेश निष्पादन की प्रकृति का है।

कार्यवाही। यह उस प्राधिकरण के लिए खुला नहीं है जो गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से मूल्यांकन करने और गलती या अन्यथा के आधार पर मूल्यांकन को सही करने के लिए धनवापसी की प्रक्रिया करता है। [पैरा 37,38,41] [384-ई-जी; 386-एच] 1.8 चूँकि स्व-मूल्यांकन का आदेश फिर भी अधिनियम के तहत पारित एक मूल्यांकन आदेश है, जाहिर है कि इससे पीड़ित किसी भी व्यक्ति द्वारा इसकी अपील की जाएगी। 'कोई भी व्यक्ति' अभिव्यक्ति व्यापक आयाम की है। राजस्व, साथ ही निर्धारिती, मूल्यांकन के आदेश से व्यथित अपील को भी पसंद कर सकता है। यह न केवल पुनर्मूल्यांकन का आदेश है जो अपील योग्य है, बल्कि धारा 128 के प्रावधान स्व-मूल्यांकन सहित अधिनियम के तहत किसी भी निर्णय या आदेश को अपील योग्य बनाते हैं। यह आदेश

स्व-निर्धारण धारा 2 (2) के अनुसार निर्धारण का एक आदेश है, इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति इससे व्यथित है तो यह अपील योग्य है। धारा 17 में सत्यापन के मामले में एक तर्कपूर्ण/बोलने वाला आदेश पारित करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है।

निर्धारण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, धारा 17 (4) के तहत पुनर्मूल्यांकन का आदेश पारित किया जाना चाहिए। धारा 128 में एक बोलने वाले आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है, बल्कि "किसी भी आदेश" के खिलाफ है जो व्यापक आयाम का है। उच्च न्यायालय द्वारा नियोजित तर्क यह है कि चूंकि कोई एल. आई. एस. नहीं है, इसलिए कोई बोलने का आदेश पारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तरह की अपील झूठ नहीं होगी, इसमें टिकाऊ नहीं है।

कानून। [पैरा 43] [387-एफ-एच; 388-ए-बी] [2019] 13 एस. सी. आर.

1.9 धारा 27 के तहत प्रावधानों को संशोधन या संशोधन के अभाव में लागू नहीं किया जा सकता है। प्रविष्टि का बिल जिसके आधार पर स्व-मूल्यांकन किया गया है। दूसरे शब्दों में, स्व-मूल्यांकन के क्रम का पालन तब तक किया जाना आवश्यक है जब तक कि धारा 27 के तहत धनवापसी के दावे पर विचार करने से पहले संशोधित नहीं किया जाता है। धनवापसी की कार्यवाही धनवापसी के लिए निष्पादन की प्रकृति में होती है। यह मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा, छूट का दावा करने के लिए अन्य शर्तें हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए, जैसा कि छूट अधिसूचना में दिया गया है। इनका अस्तित्व

आवश्यकताएँ भी साबित की जानी हैं जिन पर धन वापसी के प्रावधानों के दायरे में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। धनवापसी आवेदन को संसाधित करते समय, पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है और न ही इसकी शर्तें

छूट पर निर्णय लिया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकन की केवल अनुमति है।

संशोधित प्रावधानों की धारा 17 (3) (4) और (5) के तहत। संशोधन से पहले भी यही स्थिति थी। यह लगभग राशि होगी।

सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क उपायुक्त के मामले में मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के आदेश के लिए, जबकि

धनवापसी आवेदन पर निर्णय लेने की अनुमति है

पूरा मुद्दा जो धारा 27 के तहत धनवापसी प्रावधानों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। [पैरा 44] [388-सी-एफ]

1.10 दिल्ली और मद्रास के उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त तर्क सही नहीं लगता है। का दायरा

धारा 27 के तहत धनवापसी के प्रावधानों को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसे धारा 17,18,28 और 128 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। [पैरा 46] [389-ए]

1.11 वित्त अधिनियम, 2011 के तहत संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के प्रावधानों के समग्र प्रभाव पर विचार करने पर यह राय दी जाती है कि धनवापसी के दावे पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि उचित कार्यवाही का सहारा लेकर मूल्यांकन या स्व-मूल्यांकन के आदेश को कानून के अनुसार संशोधित नहीं किया जाता है और स्व-मूल्यांकन के आदेश को अलग रखना और धनवापसी करने के लिए कर्तव्य का पुनर्मूल्यांकन करना धारा 27 के दायरे में नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति किसी भी आदेश से व्यथित है जिसमें स्व-मूल्यांकन शामिल होगा, तो उसे धारा 128 के तहत या अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आदेश को संशोधित करना होगा।

अधिनियम से। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा आई. टी. सी. लिमिटेड द्वारा पारित आदेश।

केंद्रीय एक्सिस कोलकाता चतुर्थ के आयुक्त

कर अपीलीय न्यायाधिकरण को बरकरार रखा गया है और इसके विपरीत दिल्ली और मद्रास के न्यायालयों द्वारा पारित किया गया है धनवापसी के लिए आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं थे। [पैरा 47 [389-बी-ई]

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। (1994) सप. 3 एस. सी. सी. 86; प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज बनाम के आयुक्त

सीमा शुल्क 2004 (172) ई. एल. टी. 145 (एससी); [2004] 4 पूरक।

एस. सी. आर. 501 पर भरोसा किया।

भारत संघ और अन्य। वी. माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड 2016 (335) ईएलटी 446 (डेल); अमन मेडिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम। सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली 2010 (250) ईएलटी 30 (डेल); मेसर्स। एस. आर. एफ वी. सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई 2015 (318) ई. एल. टी. 607 (एस. सी.); धन कर आयुक्त, गुजरात III अहमदाबाद बनाम। एलिस ब्रिज

जिमखाना (1998) 1 एससीसी 384: [1997] 4 पूरक। एस. सी. आर. 626; महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम बनाम

जेसी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स (पी) लिमिटेड (1991) 1 एस. सी. सी. 637; ओ. पी. सिंगला और अन्न। वी. भारत संघ और अन्य। (1984) 4 एस. सी. सी. 450; [1985] 1 एस. सी. आर. 351; भारत संघ बनाम। लोकप्रिय निर्माण कंपनी (2001) 8 एस. सी. सी. 470: [2001] 3 पूरक। एससीआर 619; सीमा शुल्क आयुक्त बनाम। सैयद अली (265) ईएलटी 17 (एससी); केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कानपुर बनाम। फ्लॉक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड 2000 (120) ईएलटी 285 (एससी): (2000) 6 एससीसी 650: [2000] 2 पूरक। एससीआर 156;

हीरो साइकिल लिमिटेड बनाम भारत संघ 2009 (240)

ईएलटी 490 (बम); केंद्रीय कार्यालय मेवाड़ महल ऑर्ग. वी. भारत संघ 2008 (12) एसटीआर 545 (राज।)

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

2016 (335) ईएलटी 446 (डेल)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

2010 (250) ईएलटी 30 (डेल)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

2015 (318) ईएलटी 607 (एससी)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[1997] 4 पूरक। एससीआर 626

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

(1991) 1 एस. सी. सी. 637

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

संदर्भित किया गया है

[2001] 3 पूरक। एससीआर 619

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

(265) ईएलटी 17 (एससी)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

2000 (120) ईएलटी 285 (एससी)

पै

रा 19

संदर्भित किया गया है

[2000] 2 पूरक। एससीआर 156

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[2004] 4 पूरक। एससीआर 501

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

2009 (240) ई. एल. टी. 490 (बम.)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

2008 (12) एसटीआर 545 (राज.)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

(1994) सप. 3 एससीसी 86

उस पर भरोसा करें

पै

रा 38,43

पैरा 44

2004 (172) ई. एल. टी. 145 (एससी) ने भरोसा किया

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः नागरिक आवेदन संख्या।

293-294 2009 से।

सीमा शुल्क के 27.10.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से,

उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, पूर्व क्षेत्रीय पीठ, कोलकाता ने उत्पाद शुल्क अपील सं. 1045/कोल/08 में अंतिम आदेश सं. ई. डी. एम.-274/05 और 2005 का क्रॉस ऑब्जेक्शन No.111।

के साथ

सिविल अपील सं। 2960 2010 के 5878,310,4432-4434,6407,5490,

5491,5489 , 6054 2011 का 1575-1582,1585,1571,2012 का, 2014 का 7710,2016 का 96,2017 का 20852,18765,2018 का 10082,3387,7388,7389,7391,7392,7393,2019 का 7397।

पी. चिदंबरम, के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , तरुण गुलाटी, शशि

मैथ्यूज, अंकित सचदेवा, किशोर कुणाल, नील हिल्द्रेथ, सुश्री सुनीता रानी सिंह, सुश्री शिरीन खजुरिया, शेखर व्यास, आलोक यादव,

अजय अग्रवाल, सुश्री मल्लिका जोशी, राजन नारायण, बी. कृष्ण प्रसाद, एम. पी. देवनाथ, एल. बद्री नारायणन, आदित्य भट्टाचार्य, ध्रुव मट्टा, एम. पी. देवनाथ, आर. पार्थसारथी, किशोर कुणाल, सुश्री दीपिका नंदकुमार, वी. एन. रघुपति, रुपेश कुमार, श्रीमती पंखुड़ी श्रीवास्तव, प्रवेश बहुगुणा, सुश्री हेटवी मोटा, जितेंद्र सिंह, अंशुमन सीकरी, प्रशांत कुमार (मेसर्स के लिए)। एपी एंड जे चैम्बर्स), निखिल नय्यर, एन. साई विनोद, शेखर व्यास, सेंथिल जगदीशन, सुश्री सोनाक्षी आईटीसी लिमिटेड बनाम।

केंद्रीय आयुक्त, कोलकाता IV

मल्हन, सुश्री सुरीती चौधरी, सुश्री नित्या राव, सुश्री मृणाल कंवर, सुश्री ई. आर. सुमती, ई. सी. अग्रवाल, अभिषेक ए. रस्तोगी (मेसर्स के लिए)। खेतान एंड कंपनी), एड. उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे।

1. उच्च न्यायालयों और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता (संक्षेप में "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित निर्धारिती के साथ-साथ भारत संघ द्वारा इन अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

2. इन अपीलों में शामिल सवाल यह है कि क्या अपील में मूल्यांकन के आदेश को किसी चुनौती के अभाव में, कोई धनवापसी निर्धारित शुल्क के खिलाफ आवेदन पर विचार किया जा सकता है?

3. न्यायाधिकरण ने आई. टी. सी. लिमिटेड के मामले में राय दी है कि जब तक मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जाती है, तब तक इसके खिलाफ कोई धनवापसी आवेदन नहीं है। निर्धारित कर्तव्य पर विचार किया जा सकता है। दूसरी ओर, जिन मामलों में भारत संघ या विभाग अपील में आया है,

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कानून का प्रश्न इस प्रकार तैयार किया कि "क्या दाखिल नहीं किया गया है

अभिनिर्धारित प्रविष्टि विधेयक के विरुद्ध अपील जिसमें शुल्क के भुगतान के समय आयातक और राजस्व के बीच कोई समझौता नहीं था, आयातक को धारा 27 के तहत धनवापसी दावा दायर करने के उसके अधिकार से वंचित कर देगा।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (संक्षेप में, "1962 अधिनियम") "? 4. अधिनियम की धारा 27 में निहित प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, उच्च न्यायालय ने राय दी है कि जब कोई मूल्यांकन आदेश नहीं है

अपील में चुनौती दिए जाने के लिए, जिसे अधिनियम की धारा 27 (1) (i) के तहत पारित किया गया है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिस्पर्धा या विरोध नहीं है और इसलिए कोई विरोध नहीं है।

मूल्यांकन आदेश में, मामले धारा 27 (i) (ii) के प्रावधान द्वारा कवर किए जाएंगे और वापसी आवेदनों को निर्धारिती द्वारा मूल्यांकन किए गए बिल के खिलाफ अपील दायर करने के अभाव में भी बनाए रखा जा सकता है। द. मद्रास उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह की राय दी है।

5. भारत संघ और अन्य के मामले में। बनाम माइक्रोमैक्स

दिल्ली उच्च न्यायालय ने (2016) 335 ई. एल. टी. 446 (डी. एल.) में सूचित सूचना विज्ञान लिमिटेड की राय दी है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जिसमें एक व्यक्ति अब किसी भी शुल्क या ब्याज के रिफंड का दावा कर सकता है जब तक कि ऐसा शुल्क या ब्याज ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान या वहन किया गया था। इस तरह के भुगतान की शर्त [2019] 13 एस. सी. आर. के अनुसार की गई है।

मूल्यांकन का कोई क्रम मौजूद नहीं है। यह भी देखा गया है कि एक बार अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत आवेदन किए जाने के बाद, धारा 27 (2) के तहत आदेश देना संबंधित प्राधिकारी का दायित्व है।

धारा 27 (1) (i) के संदर्भ में शुल्क अपने आप में एक मूल्यांकन आदेश नहीं है जैसा कि यह 8.4.2011 से पहले था, विशेष रूप से, यदि इस तरह के शुल्क का भुगतान विरोध के तहत नहीं किया गया है। किसी भी स्थिति में, 8.4.2011 के बाद, जब तक सीमा शुल्क या ब्याज किसी व्यक्ति द्वारा वहन किया गया है, अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए धनवापसी के दावे पर विचार करना होगा और संबंधित प्राधिकारी द्वारा उस पर पारित आदेश, भले ही मूल्यांकन के आदेश की समीक्षा या अपील में संशोधन नहीं किया गया हो। रिलायंस को अमन मेडिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम के मामले में रखा गया है। सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली, 2010 (250) ईएलटी 30 (डेल)।

7. आई. टी. सी. लिमिटेड के मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों प्रकार के कच्चे कागज का निर्माण करते हैं।

सामग्री। विनिर्माण गतिविधि के दौरान, अपशिष्ट कागज/टूटा हुआ उत्पन्न होता है जिसे निर्माण प्रक्रिया में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। पल्प। कभी-कभी, आर. जी. 1 रजिस्टर में दर्ज होने के बाद, कागज दोषपूर्ण और बेचे जाने में असमर्थ पाया जाता है और इसलिए इसे फिर से संसाधित करने की आवश्यकता होती है और यदि यह संभव नहीं है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाता है और इसे फिर से पल्प और पुनर्नवीनीकरण करना पड़ता है।

8. अपीलार्थी अपने कारखाने से हटाए गए कागज पर शुल्क का भुगतान कर रहा था। पारंपरिक से निर्मित कागज के शुल्क की दर और

अपरंपरागत कच्चा माल अलग था। अपीलकर्ताओं ने अपशिष्ट कागज/ताजा टूटे हुए के संबंध में शुल्क के रूप में 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना No.67/95-CE के तहत छूट का लाभ उठाया। अधिसूचना संख्या 6/2000-सी. ई. दिनांक 1 मार्च, 2000 द्वारा कागज के संबंध में निर्मित निर्दिष्ट मात्रात्मक सीमा तक पूरी छूट दी गई थी।

अपरंपरागत कच्चा माल। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक से 30 मार्च, 2001 को एक पत्र प्राप्त होने पर, अपीलार्थी ने मामले की जांच की और आई. टी. सी. लिमिटेड v का लाभ उठाने में अपने द्वारा की गई गलती का एहसास किया।

केंद्रीय आयोग के आयुक्त, कोलकाता IV [अरुण मिश्रा, जे.]

अधिसूचना संख्या 6/2000-सी. ई. के तहत शुल्क की 'शून्य' दर पर साफ़ किए गए कागज के निर्माण में उपयोग किए गए अपशिष्ट कागज/टूटे हुए कागज के संबंध में अधिसूचना संख्या 67.95-सी. ई. के तहत छूट। मई 2001 के बाद से, अपीलार्थी ने छूट का लाभ उठाना बंद कर दिया और कचरे पर शुल्क का भुगतान शुरू कर दिया। कागज/टूटा हुआ।

9. अपील में शामिल प्रासंगिक अवधि यानी जुलाई 2001 से मार्च 2002 तक। इस अवधि के लिए अपीलार्थी के आकलन अस्थायी थे और इन प्रविष्टियों को 30.01.2003 पर अंतिम रूप दिया गया था। अनंतिम

मूल्यांकन आदेश 1.3.2002 पर पारित किया गया था। अपीलार्थी ने दावा किया है कि उक्त अंतिम मूल्यांकन आदेश दिनांक 30.01.2003 के समय, उसे अधिसूचना संख्या 10/96-CE या उक्त परिपत्र दिनांक 1.3.2001 के बारे में जानकारी नहीं थी और इस प्रकार, उसके द्वारा उस समय तक कोई दावा नहीं किया गया था और न ही उक्त अंतिम में इस तरह के किसी भी दावे पर विचार किया गया था या निर्णय लिया गया था।

मूल्यांकन आदेश।

10. 18 जुलाई, 2003 को, अपीलार्थी ने जुलाई 2001 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान उक्त अपशिष्ट कागज/टूटे हुए पर भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में Rs.28,73,120/- की राशि के लिए धनवापसी का दावा दायर किया। उक्त धनवापसी का दावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 (बी) (संक्षेप में, "1944 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत और सीमा की वैधानिक अवधि के भीतर दायर किया गया था।

11. उक्त दावे को अस्वीकार क्यों नहीं किया जाए, इसके लिए एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब दाखिल किया गया था। मूल्यांकन समिति उक्त दावे को अस्वीकार कर दिया। अपील आयुक्त ने अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद, न्यायाधिकरण के समक्ष लगातार अपील की गई।

न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के धनवापसी के दावे को खारिज कर दिया है। इसलिए, 1944 के अधिनियम की धारा 35 (बी) के तहत अपील को प्राथमिकता दी गई है।

12. भारत संघ और अन्य के मामले में। वी. माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, उत्तरदाताओं (यानी माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड) ने आयात किया था। 30.07.2014 से 29.8.2014 की अवधि के दौरान सेलुलर फोन सहित मोबाइल हैंडसेट। सीमा शुल्क मंजूरी के समय, उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 (1) के तहत 6 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) का भुगतान किया। कुल मिलाकर, अधिनियम की धारा 17 के तहत स्व-मूल्यांकन योजना के संदर्भ में उत्तरदाताओं द्वारा प्रवेश के आयात बिलों का स्व-मूल्यांकन किया गया था और इस प्रकार अंततः मूल्यांकन किया गया था। मेसर्स में यह न्यायालय। एस. आर. एफ वी. सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई 2015 [318] ई. एल. टी. 607 (एस. सी.) ने कहा कि आयातित वस्तु के मामले में सी. वी. डी. की मात्रा निर्धारित करने के लिए, यह माना जाना चाहिए कि उक्त आयातित वस्तु में [2019] 13 एस. सी. आर. है।

भारत में निर्मित किया गया है और फिर छूट की सीमा निर्धारित करने के लिए उस पर देय उत्पाद शुल्क की राशि का पता लगाना होगा।

उपरोक्त अधिसूचना की शर्त No.16 के साथ। उन्होंने 5 प्रतिशत के स्थगन शुल्क की वापसी का दावा किया। सहायक आयुक्त (धनवापसी) ने शुल्क के अतिरिक्त भुगतान के साक्ष्य के अभाव में सभी दावों को विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रवेश पत्रों का आकलन पहले ही किया जा चुका है और मूल्यांकन आदेश हैं जिनकी केवल अपील में समीक्षा या संशोधन किया जा सकता है। यह भी देखा गया कि प्रतिवादी कोई पुनर्मूल्यांकन आदेश या बोलने का आदेश प्रस्तुत करने में विफल रहा 1962 के अधिनियम की धारा 17 (5) के तहत और गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय लेना धनवापसी शाखा के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। अधिकारी ने

धनवापसी के दावे पर विचार करना किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर अपील में नहीं बैठ सकता है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आत्म-मूल्यांकन नहीं है स्वयं एक मूल्यांकन आदेश दिया और रिट याचिका की अनुमति दी। इसलिए भारत संघ की ओर से अपील।

13. सीमा शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम। अमन मेडिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, उत्तरदाताओं ने इंजेक्शन सुइयों के निर्माण के उद्देश्य से कैनुला का आयात किया था। प्रविष्टि के बिल दाखिल करने के समय, प्रत्यर्थी अधिसूचना संख्या 6/2002 क्यूस, दिनांक 1.3.2002 के तहत उपलब्ध लाभों का संकेत नहीं दे सका, जिसमें आयातित वस्तुओं पर शुल्क की रियायती दर प्रदान की गई थी। अंत में प्रवेश पत्रों का मूल्यांकन किया गया। इसके बाद, प्रतिवादी ने धनवापसी के लिए एक आवेदन दायर किया। रिफंड उपायुक्त ने दावे को खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी ने उनके द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की। अपील आयुक्त द्वारा अपील को स्वीकार कर लिया गया। विभाग ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने कहा कि धनवापसी के दावे पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। प्रतिवादी-अमन मेडिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका को मंजूरी दे दी गई है।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. चिदंबरम ने हमें 1962 के अधिनियम के तहत प्रचलित 'मूल्यांकन' की परिभाषा और अधिनियम, मूल्यांकन डब्ल्यू. ई. एफ., वित्त अधिनियम, 2011, धारा 17 और वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित धारा 27 के तहत संशोधित परिभाषा के बारे में बताया है। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह आग्रह किया गया था कि इससे पहले

वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा किया गया संशोधन, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 17 के तहत मूल्यांकन की योजना ऐसी थी कि एक बार प्रविष्टि का बिल

आयातित वस्तुओं का दाखिल, परीक्षण और परीक्षण उचित अधिकारी द्वारा किया गया था। इसके बाद, शारीरिक परीक्षण के बाद मूल्यांकन का आदेश पारित किया गया। तदनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27 बशर्ते कि धनवापसी का दावा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जिसने (ए) निर्धारण के आदेश के अनुसरण में शुल्क का भुगतान किया था या (बी) एक व्यक्ति जिसने कर्तव्य वहन किया था। इससे पहले, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 17 के तहत एक उचित अधिकारी द्वारा मूल्यांकन के आदेश की आवश्यकता थी।

2011 में अधिनियम में संशोधन के बाद, अधिनियम की धारा 27 के तहत भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी का दावा करने के लिए विनिमय बिल का मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब प्रवेश बिल होना है आयातक या निर्यातक द्वारा स्व-मूल्यांकन किया जाता है और यह सत्यापन के अधीन होगा। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 17 (4) के तहत यदि यह पाया जाता है कि किसी आयातक या निर्यातक द्वारा शुल्क का स्व-मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया है

15. एस. आर. एफ. लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (उपरोक्त) पर निर्धारिती की ओर से रिलायंस को रखा गया है। यह आवश्यक नहीं है कि संशोधित [2019] 13 एस. सी. आर. के तहत पुनर्मूल्यांकन या बोलने का आदेश पारित करें।

धारा 17 के प्रावधान। प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज बनाम में निर्णय। सीमा शुल्क आयुक्त 2004 (172) ई. एल. टी. 145 (एस. सी.) असंशोधित प्रावधानों पर आधारित है, इस प्रकार, इस क्षेत्र को धारण नहीं कर सकता है और प्रावधानों में किए गए संशोधन को देखते हुए लागू नहीं होता है। संशोधित प्रावधानों की धारा 17 (1) के तहत, प्रवेश पत्रों का आयातक या निर्यातक द्वारा स्व-मूल्यांकन किया जाना चाहिए। स्व-मूल्यांकन के सत्यापन को अब वैकल्पिक बना दिया गया है। आत्म-मूल्यांकन को तब तक बाधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन की आवश्यकता न हो और इस उद्देश्य के लिए,

वह माल या उसके कुछ हिस्से की जांच या परीक्षण कर सकता है।

निर्धारण के आदेश को हटा दिया गया है और यदि उसके द्वारा शुल्क का भुगतान किया गया है तो निर्धारिती द्वारा धनवापसी का दावा बनाए रखा जा सकता है। विधायी इरादा स्पष्ट है। अब मूल्यांकन के क्रम को अप्रासंगिक बना दिया गया है और किसी आदेश का पुनर्मूल्यांकन अब पूर्व-आवश्यकता नहीं है। धनवापसी का दावा बनाए रखने के लिए। अब स्व-मूल्यांकन योजना के तहत, उचित अधिकारी द्वारा मूल्यांकन का कोई आदेश नहीं होगा।

17. निर्धारिती की ओर से आगे यह आग्रह किया गया कि धारा 27 को अनुचित या निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है। धारा 27 में शामिल नहीं है

कोई भी शर्त जो यह सुझाव दे सकती है कि धनवापसी केवल उसके बाद ही दाखिल की जा सकती है

बिल ऑफ एंट्री के खिलाफ अपील की गई है। ऐसी वैधानिक शर्त के अभाव में, धनवापसी के दावे पर प्रतिबंध को क़ानून में आयात नहीं किया जा सकता है। कराधान कानून की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए और इसके किसी भी इरादे का अनुमान लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है।

धन कर आयुक्त, गुजरात III अहमदाबाद बनाम। एलिस ब्रिज जिमखाना (1998) 1 एस. सी. सी. 384। रिलायंस को महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भी रखा गया है।

जेसी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स (पी.) लिमिटेड (1991) 1 एस. सी. सी. 637, ओ. पी. सिंगला और अन्न। वी. भारत संघ और अन्य। , (1984) 4 एस. सी. सी. 450 और भारत संघ बनाम। लोकप्रिय निर्माण कंपनी, (2001) 8 एस. सी. सी. 470।

18. यह भी आग्रह किया गया कि धारा 27 निर्धारिती के लिए भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के लिए उपलब्ध एक उपाय है और धारा 28 शुल्क की वसूली पर विभाग के लिए उपलब्ध एक उपाय है जो नहीं लगाया गया है और कम समय के लिए लगाया गया है या गलती से लगाया गया है। आईटीसी लिमिटेड v दाखिल किए बिना दोनों उपायों का लाभ उठाया जा सकता है।

केंद्रीय आयोग के आयुक्त, कोलकाता IV [अरुण मिश्रा, जे.]

अपीलें करें। यह भी आग्रह किया गया कि धारा के तहत कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है

128 प्रवेश के बिल के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 17 के तहत मूल्यांकन की योजना स्वयं की है।

निर्धारण और केवल तभी जब उचित अधिकारी द्वारा इस तरह के स्व-मूल्यांकन पर विवाद किया जाता है, मूल्यांकन का आदेश पारित किया जाता है तो वह आदेश के संचार के 60 दिनों के भीतर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। यह केवल ऐसी स्थिति में है जब बोलने का आदेश पारित किया जाता है तो निर्धारिती को अपील दायर करने की आवश्यकता होती है। जब तक मूल्यांकन का एक बोलने वाला आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक कोई अपील नहीं की जा सकती है और भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के लिए एकमात्र विकल्प धनवापसी का दावा दायर करना है। प्रवेश पत्र पर केवल माल की निकासी की अनुमति देने के लिए मुहर लगाई जाती है। प्रविष्टि बिल में कोई कारण नहीं दिया गया है जिसके कारण इसे एक आदेश के रूप में माना जा सकता है जिसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 128 के तहत अपील के अधीन किया जा सकता है। सीमा शुल्क आयुक्त बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। सैयद अली (265) ईएलटी 17 (एससी) प्रासंगिक नहीं है। उक्त निर्णय सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 के संबंध में पारित किया गया था। 19. भारत संघ/विभाग की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि स्व-मूल्यांकन एक मूल्यांकन है। स्व-मूल्यांकन को स्वीकार करने के बाद अपील में स्व-मूल्यांकन पर सवाल उठाए जाने के अभाव में धनवापसी के दावे पर विचार करना उचित अधिकारी के लिए खुला नहीं है। एक वर्ष से अधिक की समाप्ति के बाद प्रवेश पत्र का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश

आदेश नहीं दिया जा सकता है। रिलायंस को केंद्रीय कलेक्टर पर रखा गया है

आबकारी, कानपुर बनाम। फ्लॉक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, 2000 (120) ईएलटी 285 (एससी)। तत्काल मामले में, प्रवेश के बिल दाखिल किए गए थे और वे स्वयं थे

मूल्यांकन किया गया। यह अधिनियम के तहत एक आकलन है और यदि अधिसूचना के लाभ का दावा नहीं किया गया है, तो अपील दायर करने के माध्यम से प्रवेश के बिलों के मूल्यांकन को चुनौती देने के अभाव में, अधिसूचना के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। धनवापसी के लिए आवेदन नहीं है

फ्लॉक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए बनाए रखा जा सकता है। लिमिटेड (ऊपर) और प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज (ऊपर)। एक बार जब स्व-मूल्यांकन/मूल्यांकन अंतिम रूप ले लेता है और उस पर सवाल नहीं उठाया जाता है, तो इसे किसी भी समय फिर से नहीं खोला जा सकता है। धनवापसी का दावा एक अपीलीय कार्यवाही नहीं है। धनवापसी के दावे पर विचार करने वाला अधिकारी नहीं बैठ सकता है।

एक सक्षम अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर अपील में। धनवापसी के दावे पर विचार करने वाला अधिकारी मूल्यांकन आदेश की समीक्षा भी नहीं कर सकता है।

2011 में संशोधन किए जाने के बाद भी, मूल्यांकन के आदेश के अनुसार भुगतान की शर्त बनी हुई है। चूंकि प्रवेश के बिलों का स्व-मूल्यांकन प्रति मूल्यांकन का एक क्रम है।

से, जब तक कि अधिनियम [2019] 13 एस. सी. आर. की धारा 2 (2) के तहत मूल्यांकन का आदेश पारित नहीं किया जाता है।

संशोधन के लिए अपील आयुक्त के समक्ष अपील की जाती है, धनवापसी के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। धारा 128 के प्रावधान को अनुचित नहीं माना जा सकता है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संशोधन किया गया है लेकिन स्व-मूल्यांकन का कानूनी प्रभाव मूल्यांकन का है। आत्म-मूल्यांकन की प्रक्रिया करते समय कुछ अभ्यास करना पड़ता है। एक बार जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह मूल्यांकन का एक क्रम बन जाता है। 20. स्व-मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ किसी भी व्यक्ति यानी विभाग के साथ-साथ आयातक/निर्यातक को अपील करने का अधिकार उपलब्ध है। जब तक मूल्यांकन आदेश को संशोधित नहीं किया जाता है और मूल्यांकन का एक नया आदेश पारित नहीं किया जाता है और शुल्क का पुनर्निर्धारण नहीं किया जाता है, तब तक धनवापसी आवेदन के माध्यम से धनवापसी नहीं दी जा सकती है। धनवापसी अधिकारी निर्धारण अधिकारी की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। धनवापसी के दावे पर विचार करने वाला अधिकारी मूल्यांकन आदेश का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। एक मूल्यांकन आदेश पर सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर सवाल उठाया जाना चाहिए। धनवापसी आवेदन पर धारा 27 के तहत सीधे विचार नहीं किया जा सकता है जब तक कि मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जाती है और इसे संशोधित नहीं किया जाता है।

21. विचार के लिए पहला सवाल यह है कि क्या मूल्यांकन में आत्म-मूल्यांकन भी शामिल है। वित्त द्वारा संशोधन से पहले

अधिनियम, 2011 की धारा 2 (2) में निर्धारण को इस प्रकार परिभाषित किया गया थाः

" 2 (2) " "मूल्यांकन" में अनंतिम मूल्यांकन शामिल है,

पुनर्मूल्यांकन और मूल्यांकन का कोई भी क्रम जिसमें कर्तव्य

आंकलन शून्य है; '

22. वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा की गई धारा 2 (2) के संशोधन के बाद 'मूल्यांकन' की परिभाषा इस प्रकार हैः

" 2 (2) " मूल्यांकन में अनंतिम मूल्यांकन, स्व-मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और कोई भी मूल्यांकन शामिल है जिसमें निर्धारित शुल्क शून्य है।

निर्धारित शुल्क शून्य है, यह एक मूल्यांकन है। मूल्यांकन में स्व-मूल्यांकन शामिल है, जब स्व-मूल्यांकन का प्रावधान धारा 17 (1) में शामिल किया गया है, और धारा 2 (2) में मूल्यांकन की परिभाषा में संबंधित परिवर्तन किया गया है। इससे पहले स्व-मूल्यांकन शब्द को मूल्यांकन की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था। 24. शुल्क का निर्धारण 2011 से पहले असंशोधित अधिनियम की धारा 17 में प्रदान किया गया था। सीमा शुल्क अधिनियम की पूर्व-संशोधित धारा 17 यहाँ नीचे दी गई हैः

' सी लिमिटेड वी। केंद्रीय आयोग के आयुक्त, कोलकाता IV [अरुण मिश्रा, जे.]

" 17. कर्तव्य का मूल्यांकन। - (1) धारा 46 के तहत किसी आयातक द्वारा किसी भी आयातित माल में प्रवेश करने के बाद या किसी निर्यातक द्वारा धारा 50 के तहत किसी भी निर्यात माल में प्रवेश करने के बाद, आयातित माल या निर्यात माल, जैसा भी मामला हो, या उसके ऐसे हिस्से की, जो आवश्यक हो, बिना किसी अनुचित देरी के, उचित अधिकारी द्वारा जांच और परीक्षण किया जा सकता है।

(2) इस तरह की जांच और परीक्षण के बाद, धारा 85 में अन्यथा उपबंधित के अलावा, ऐसी वस्तुओं पर देय शुल्क, यदि कोई हो, का आकलन किया जाएगा। (3) उप-धारा (2) के तहत शुल्क का आकलन करने के उद्देश्य से,

उचित अधिकारी आयातक, निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति से कोई अनुबंध, दलाल का नोट, बीमा पॉलिसी,

सूची या अन्य दस्तावेज जिसके द्वारा आयातित वस्तुओं या निर्यात वस्तुओं पर देय शुल्क, जैसा भी मामला हो, का पता लगाया जा सकता है, और ऐसे निर्धारण के लिए आवश्यक कोई भी जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है जो उत्पादन या प्रस्तुत करने की उसकी शक्ति में है, और

तब आयातक, निर्यातक या ऐसा अन्य व्यक्ति ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करेगा और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा। (4) इस धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, आयातित माल या निर्यात माल, परीक्षा या परीक्षण से पहले हो सकता है।

उचित अधिकारी द्वारा उससे संबंधित प्रविष्टि में दिए गए बयानों और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और इसके तहत दी गई जानकारी के आधार पर कर्तव्य का आकलन करने की अनुमति दी जाएगी।

(5) जहां उप-धारा (2) के तहत किया गया कोई निर्धारण आयातक या निर्यातक के मूल्यांकन के संबंध में दावे के विपरीत है। इस अधिनियम के तहत किसी भी अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्राप्त माल, वर्गीकरण, छूट या शुल्क की रियायतें, और उन मामलों के अलावा अन्य मामलों में जहां आयातक या निर्यातक, जैसा भी मामला है।

हो सकता है, लिखित रूप में उक्त मूल्यांकन की अपनी स्वीकृति की पुष्टि करता है, उचित अधिकारी प्रवेश के बिल या शिपिंग बिल के मूल्यांकन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर एक बोलने का आदेश पारित करेगा, जैसा भी मामला हो। "[2019] 13 एस. सी. आर.

25. वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित धारा 17 निकाली गई है।

इसके अलावाः

" 17. कर्तव्य का मूल्यांकन। - (1) धारा 46 के तहत किसी भी आयातित माल में प्रवेश करने वाला आयातक, या धारा 50 के तहत किसी भी निर्यात माल में प्रवेश करने वाला निर्यातक, धारा 85 में अन्यथा प्रदान की गई बचत करेगा।

माल और इस उद्देश्य के लिए, किसी भी आयातित माल या निर्यात माल या उसके ऐसे हिस्से की जांच या परीक्षण करें जो आवश्यक हो। [(3) उप-धारा (2) के तहत स्व-मूल्यांकन के सत्यापन के लिए,

उचित अधिकारी को आयातक, निर्यातक या किसी अन्य की आवश्यकता हो सकती है। कोई भी दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति, जिसके द्वारा आयातित वस्तुओं या निर्यात वस्तुओं पर देय शुल्क का पता लगाया जा सकता है और उसके बाद, आयातक, निर्यातक या

ऐसा अन्य व्यक्ति ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करेगा या ऐसा प्रस्तुत करेगा जानकारी.]

(4) जहां यह माल के सत्यापन, परीक्षण या परीक्षण पर या अन्यथा पाया जाता है कि स्व-मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया गया है, तो उचित अधिकारी, किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

इस अधिनियम के तहत लिया जा सकता है, ऐसे पर देय शुल्क का पुनर्मूल्यांकन करें

वस्तुओं का मूल्यांकन, वर्गीकरण, छूट या छूट इसके लिए जारी की गई किसी भी अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्राप्त शुल्क

इस अधिनियम और उन मामलों के अलावा अन्य मामलों में जहां आयातक या निर्यातक, जैसा भी मामला हो, उक्त की अपनी स्वीकृति की पुष्टि करता है

(6) जहां पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है या पुनर्मूल्यांकन पर बोलने का आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां उचित अधिकारी अपने कार्यालय में या आयातक या निर्यातक के परिसर में आयातित वस्तुओं या निर्यात वस्तुओं के शुल्क के मूल्यांकन का लेखा-परीक्षण कर सकता है। समीचीन हो, ऐसी रीति से जो विहित की जाए।

' सी लिमिटेड वी। केंद्रीय आयोग के आयुक्त, कोलकाता IV [अरुण मिश्रा, जे.]

स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है

कि ऐसे मामलों में जहां एक आयातक ने किसी भी आयातित वस्तु में प्रवेश किया है धारा 46 के तहत या किसी निर्यातक ने किसी निर्यात वस्तु में प्रवेश किया है।

वित्त विधेयक, 2011 की तारीख से पहले की धारा 50 के तहत

राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है, ऐसी आयातित वस्तुएँ या निर्यात

माल धारा के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता रहेगा।

17 जैसा कि यह उस तारीख से तुरंत पहले था जिस दिन ऐसी सहमति दी जाती है

प्राप्त हुआ।] "

(जोर दिया गया)

26. धारा 27 शुल्क की वापसी के दावे से संबंधित है। का प्रावधान

27 पर जो वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधन से पहले प्रचलित था

यहाँ नीचे लिखा हैः

" 27. (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी शुल्क की वापसी का दावा करता है

सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त को इस तरह के कर्तव्य पर भुगतान किया गया या सीमा शुल्क के उपायुक्त

(क) किसी व्यक्ति द्वारा अपने लिए किए गए किसी भी आयात के मामले में उपयोग या सरकार द्वारा या किसी भी शैक्षिक, अनुसंधान या धर्मार्थ द्वारा

(ख) किसी अन्य मामले में, छह महीने की समाप्ति से पहले, शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान की तारीख से

कर्तव्य, ऐसे रूप और तरीके से जो विनियमों में निर्दिष्ट किया जाए

ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (दस्तावेजों सहित) धारा 28 सी में निर्दिष्ट) जैसा कि आवेदक स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कर सकता है

इस तरह के कर्तव्य पर भुगतान उनके द्वारा किसी अन्य को नहीं दिया गया था व्यक्तिः

बशर्ते कि जहां धनवापसी के लिए आवेदन किया गया हो

केंद्रीय राजकोष और सीमा शुल्क की शुरुआत से पहले विधि (संशोधन) अधिनियम, 1991, इस तरह के आवेदन को [2019] 13 एस. सी. आर. माना जाएगा।

इस उप-धारा के तहत बनाया गया है और वही होगा

बशर्ते कि एक वर्ष या छह महीने की सीमा, मामला हो सकता है, लागू नहीं होगा जहां कोई शुल्क और ब्याज, यदि

इस तरह के शुल्क का भुगतान विरोध के तहत किया गया हैः

बशर्ते कि उन वस्तुओं के मामले में जिन्हें छूट दी गई है

उप-धारा (2) के तहत जारी विशेष आदेश द्वारा शुल्क का भुगतान

हो सकता है, ऐसी गणना ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से की जाएगी। [बशर्ते कि जहां शुल्क के रूप में वापसी योग्य हो जाता है

अपीलीय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश का परिणाम प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या कोई भी न्यायालय, एक की सीमा

वर्ष या छह महीने, जैसा भी मामला हो, से गणना की जाएगी

ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश की तारीख।

स्पष्टीकरण I-इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,

ऐसे शुल्क पर भुगतान किए गए शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान

आयातक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, "के रूप में माना जाएगा

ऐसे व्यक्ति द्वारा माल की खरीद की तारीख। स्पष्टीकरण II। - जहाँ धारा के तहत किसी शुल्क का भुगतान अस्थायी रूप से किया जाता है।

18 , एक वर्ष या छह महीने की सीमा, जैसा भी मामला हो,

शुल्क के समायोजन की तारीख से गणना की जाएगी

उसका अंतिम मूल्यांकन।

(जोर दिया गया) "

27. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27 का प्रावधान जिसमें संशोधन किया गया है

नैन्स एक्ट, 2011 को इसके तहत निकाला गया हैः

" 27. शुल्क वापसी का दावा। - (1) रिफंड का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति

किसी भी कर्तव्य या ब्याज का, ((क) उसके द्वारा भुगतान किया गया; या

(ख) उसके द्वारा वहन किया गया,

आवेदन ऐसे प्रपत्र और तरीके से कर सकते हैं जो हो सके

सहायक आयुक्त को इस तरह के धनवापसी के लिए निर्धारित सीमा शुल्क या सीमा शुल्क के उपायुक्त, समाप्ति से पहले

एक वर्ष का, ऐसे शुल्क या ब्याज के भुगतान की तारीख सेः

' सी लिमिटेड वी। केंद्रीय आयोग के आयुक्त, कोलकाता IV [अरुण मिश्रा, जे.]

उप-धारा (1) के तहत किया गया, जैसा कि यह उस तारीख से पहले था जिस दिन वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की सहमति मिलती है और उस पर उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगाः बशर्ते कि एक वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी जहां विरोध के तहत कोई शुल्क या ब्याज का भुगतान किया गया है।

बशर्ते कि जहां दावा की गई धनवापसी की राशि एक सौ रुपये से कम है, वहां उसे वापस नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। - — इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, आयातक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में "शुल्क या ब्याज के भुगतान की तारीख" को ऐसे व्यक्ति द्वारा "माल की खरीद की तारीख" के रूप में माना जाएगा।

(1क) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन के साथ ऐसा दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (धारा 28ग में निर्दिष्ट दस्तावेजों सहित) होगा जो आवेदक यह स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करे कि शुल्क या ब्याज की राशि, जिसके संबंध में ऐसी वापसी का दावा किया गया है, उससे एकत्र की गई थी या उसके द्वारा भुगतान की गई थी और ऐसे शुल्क या ब्याज की घटना, उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है।

(क) उन वस्तुओं के मामले में जिन्हें धारा 25 की उप-धारा (2) के तहत जारी विशेष आदेश द्वारा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, एक वर्ष की सीमा की गणना ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से की जाएगी; ((ख) जहां किसी कारण से शुल्क वापसी योग्य हो जाता है।

अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी भी न्यायालय का निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश, एक वर्ष की सीमा की गणना ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश की तारीख से की जाएगी; [2019] 13 एस. सी. आर.

(ग) जहां धारा 18 के तहत किसी भी शुल्क का भुगतान अस्थायी रूप से किया जाता है,

एक वर्ष की सीमा की गणना शुल्क के समायोजन की तारीख से उसके अंतिम मूल्यांकन के बाद या पुनः निर्धारण के मामले में की जाएगी।

निर्धारण, ऐसे पुनर्मूल्यांकन की तारीख से।]

यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा भुगतान किए गए शुल्क और ब्याज का पूरा या कोई हिस्सा, यदि कोई हो, वापस करने योग्य है, तो वह तदनुसार आदेश दे सकता है और इस प्रकार निर्धारित राशि को निधि में जमा किया जाएगाः बशर्ते कि इस उप-धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उपायुक्त द्वारा निर्धारित शुल्क पर भुगतान की गई शुल्क और ब्याज की राशि, यदि कोई हो, का भुगतान निधि में जमा होने के बजाय आवेदक को किया जाएगा, यदि ऐसी राशि संबंधित है -

किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कर्तव्य; (ख) किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किए गए आयात पर ऐसे शुल्क पर भुगतान किया गया शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो;

(ग) खरीदार द्वारा वहन किए गए ऐसे शुल्क पर भुगतान किया गया शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, यदि उसने ऐसे शुल्क पर भुगतान किए गए शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, की घटना को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया था;

(घ) धारा 26 में विनिर्दिष्ट निर्यात शुल्क; (ङ) धारा 74 और 75 के तहत देय शुल्क की वापसी;

(च) किसी अन्य वर्ग के आवेदकों द्वारा वहन किए जाने वाले ऐसे शुल्क पर भुगतान किया गया शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती हैः (छ) घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी की अनुमति देने वाले आदेश से पहले आयातक द्वारा अधिक भुगतान किया गया शुल्क जहां

(i) शुल्क का ऐसा अतिरिक्त भुगतान स्व-मूल्यांकन किए गए प्रवेश पत्र के मामले में प्रवेश पत्र से स्पष्ट होता है; या सी लिमिटेड v.

केंद्रीय आयोग के आयुक्त, कोलकाता IV [अरुण मिश्रा, जे.]

((ii) वास्तव में देय शुल्क के पुनर्मूल्यांकन बिल में परिलक्षित होता है।

पुनर्मूल्यांकन के मामले में प्रविष्टि। बशर्ते कि पहले के खंड (च) के तहत कोई अधिसूचना नहीं

परंतुक तब तक जारी किया जाएगा जब तक कि केंद्र की राय में

ऐसा कर्तव्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारित नहीं किया गया है कोई और व्यक्ति।

(3) इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश,

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियम या किसी अन्य कानून के लिए उस समय लागू होने पर, प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा कोई धनवापसी नहीं की जाएगी।

उप-धारा (2) में।

(4) पहले परंतुक के खंड (च) के तहत प्रत्येक अधिसूचना

धारा (2) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, यदि वह

बैठक, अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद, और, यदि यह अपनी पुनः सभा के सात दिनों के भीतर नहीं बैठ रहा है, और केंद्रीय

सरकार, संसद से अनुमोदन मांगेगी पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर पेश किए गए प्रस्ताव द्वारा अधिसूचना

उस दिन से शुरू होता है जिस दिन अधिसूचना पहले रखी जाती है।

लोक सभा और यदि संसद कोई संशोधन करती है

अधिसूचना में या निर्देश देता है कि अधिसूचना बंद हो जानी चाहिए प्रभाव पड़ता है, अधिसूचना के बाद केवल में प्रभाव होगा

ऐसा संशोधित रूप या प्रभावहीन होना, जैसा भी मामला हो, लेकिन

पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके नीचे।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई भी

उप को पहले परंतुक के खंड (च) के तहत जारी अधिसूचना

धारा (2), जिसमें ऐसी कोई अनुमोदित या संशोधित अधिसूचना भी शामिल है।

उप-धारा (4) के तहत, केंद्र द्वारा निरस्त किया जा सकता है

सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी समय सरकार।

(जोर दिया गया)

28. धारा 28 उन शुल्कों की वसूली से संबंधित है जो नहीं लगाए गए हैं या नहीं

या कम समय में लगाया गया या कम समय में भुगतान किया गया या गलती से वापस कर दिया गया। धारा 28 (1) यहाँ नीचे दी गई है:

" 28. शुल्कों की वसूली जो नहीं लगाए गए या भुगतान नहीं किए गए या कम लगाए गए या अल्पकालिक भुगतान या गलती से धनवापसी। — (1) जहाँ कोई कर्तव्य है नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, या कोई देय ब्याज नहीं दिया गया है भुगतान, आंशिक भुगतान या गलती से वापस किया गया, इसके अलावा किसी अन्य कारण से मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत बयान या दमन के कारण तथ्यों का,

(क) उचित अधिकारी, संबंधित से दो साल के भीतर तिथि, शुल्क या ब्याज के साथ प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस दें जो इस प्रकार नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या जो कम हो गया है लगाया गया या कम भुगतान किया गया या जिसे गलती से धनवापसी की गई है सूचना में निर्दिष्ट राशि; बशर्ते कि नोटिस जारी करने से पहले, उचित अधिकारी पकड़ लेगा कर्तव्य के साथ प्रभारी व्यक्ति के साथ पूर्व-सूचना परामर्श या ऐसी रीति से ब्याज जो विहित की जाए;

(ख) शुल्क या ब्याज के साथ प्रभार्य व्यक्ति, पहले भुगतान कर सकता है खंड (ए) के तहत नोटिस की सेवा के आधार पर,

((i) अपने स्वयं के कर्तव्य का निर्धारण; या

((ख) उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर्तव्य, शुल्क की राशि और उस पर देय ब्याज धारा 28 एए या ब्याज की राशि जो ऐसी नहीं रही है। भुगतान या आंशिक भुगतानः

बशर्ते कि उचित अधिकारी इस तरह के कारण न बताए। नोटिस, जहां शामिल राशि एक रुपये से कम है

सौ "।

(जोर दिया गया)

29. विचार के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या

बोलने का आदेश पारित किए बिना मूल्यांकन, इसे कहा जा सकता है

आत्म-मूल्यांकन। मूल्यांकनकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया था कि

दिमाग का कोई अनुप्रयोग नहीं है और केवल एक समर्थन किया जाता है

प्रविष्टि के बिल पर संबंधित प्राधिकरण जिन्हें बोलने के आदेश से बहुत कम नहीं कहा जा सकता है।

30. एस्कॉर्ट्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य। (1994) सप. 3

86 प्रवेश पत्र आई. टी. सी. लिमिटेड v के संबंध में विचार के लिए प्रश्न उठा।

केंद्रीय आयोग के आयुक्त, कोलकाता IV [अरुण मिश्रा, जे.]

आयातित वस्तुओं को एक निश्चित शुल्क वस्तु के तहत वर्गीकृत करना और उस पर शुल्क का भुगतान करना। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर करना ही मूल्यांकन का आदेश पारित करने के बराबर है। इसलिए, इस आधार पर धनवापसी की मांग करने वाला आवेदन कि आयातित माल शुल्क की बहुत कम दर को आकर्षित करने वाली एक अलग वस्तु के अंतर्गत आता है, शुल्क के भुगतान के छह महीने से अधिक समय के बाद दायर किया गया था, समय-वर्जित के रूप में सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रविष्टि पत्र में की गई प्रविष्टि को निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश माना गया है। इस न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 47 और 17 के प्रावधानों पर विचार किया और कहा हैः

" 9. धारा 47 और 17 को एक साथ पढ़कर, यह किसी भी संदेह से परे स्पष्ट है कि जैसे ही प्रवेश पत्र दाखिल किया जाता है, उचित अधिकारी माल की जांच करता है, उनका परीक्षण करता है, उचित शुल्क का आकलन करता है और

शुल्क और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के बाद ही माल की निकासी की अनुमति देता है। अधिनियम की योजना में, यह तर्क देने की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी सामान को उसके बिना साफ करने की अनुमति दी जाएगी

कर्तव्य का निर्धारण, चाहे अस्थायी हो या अंतिम, जैसा भी मामला हो

हो सकता है।

10. अब यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम किसी विशेष रूप को निर्धारित नहीं करता है जिसमें मूल्यांकन का आदेश दिया जाना है। चीजों की प्रकृति में, मूल्यांकन के किसी औपचारिक क्रम की उम्मीद नहीं की जा सकती है जब वर्गीकरण या शुल्क की दर के बारे में कोई विवाद नहीं है। ऐसे मामले में किसी औपचारिक आदेश की उम्मीद नहीं की जा सकती है, यह 'क्रॉस-द-काउंटर' मामले की तरह है। वर्तमान मामले में, यह हो सकता है यह
दोहराया जाए कि अपीलार्थी ने स्वयं माल को प्रशुल्क मद संख्या 73.33/40 के तहत वर्गीकृत किया और उसके तहत लागू दर पर शुल्क का भुगतान किया। उस स्तर पर, उन्होंने वर्गीकरण या लागू कर्तव्य के अधिकार के बारे में कोई विवाद नहीं उठाया। इसलिए, औपचारिक आदेश पारित करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि उस स्तर पर कोई आदेश नहीं था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमोदन को दर्शाता है। यह अपने आप में

ऐसी स्थिति में मूल्यांकन का आदेश। इसलिए हम इस बात से सहमत होने के लिए तैयार नहीं हैं कि इसमें मूल्यांकन का कोई क्रम नहीं है।

मामला, और इसलिए, धारा 27 में निर्धारित सीमा नहीं चलने लगी। धारा 27 भाषा में जोरदार है। इसमें कहा गया है कि शुल्क की वापसी के लिए आवेदन उस तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले किया जाएगा जिस दिन शुल्क का भुगतान किया गया था। इस प्रावधान के सामने, अधिनियम के तहत प्राधिकरण, जिसमें [2019] 13 एस. सी. आर. शामिल हैं।

भारत सरकार के पास अपीलार्थी को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

आवेदन। मद्रास में इस न्यायालय द्वारा भी यही दृष्टिकोण लिया गया है। रबर फैक्ट्री लिमिटेड बनाम। भारत संघ (1976) 2 एस. सी. सी. 255। ”

(जोर दिया गया)

31. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि

प्रविष्टि के बिल पर किया गया अनुमोदन मूल्यांकन का एक आदेश है। यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे मामले में मूल्यांकन का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। जब कोई लीस नहीं होता है, तो बोलने के आदेश को "काउंटर अफेयर के पार" पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

32. प्रचलित कर्तव्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया पर आना

उचित अधिकारी द्वारा जाँच और परीक्षण किए जाने की आवश्यकता थी। इस तरह की जांच के बाद, उन्हें इन वस्तुओं पर देय शुल्क, यदि कोई हो, का आकलन करना था। धारा 17 की उप-धारा (3) के तहत, उचित अधिकारी को आयातक, निर्यातक या किसी अन्य की आवश्यकता के लिए अधिकृत किया गया था। प्रावधान में निर्दिष्ट किसी भी अनुबंध, दलाल के नोट या किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने और किसी भी आवश्यक जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति।

इसके बावजूद कि उससे संबंधित प्रविष्टि पत्र में दिए गए विवरण और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और उप-धारा (3) के तहत दी गई जानकारी; लेकिन यदि यह बाद में माल की जांच या परीक्षण पर या अन्यथा पाया गया कि ऐसे प्रविष्टि पत्र में कोई विवरण या

दस्तावेज़ या इस तरह से प्रस्तुत कोई भी जानकारी सच नहीं थी, वह कर्तव्य का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकता था। जहां उप-धारा (2) के तहत किया गया निर्धारण माल के मूल्यांकन, वर्गीकरण, छूट या रियायत के संबंध में आयातक या निर्यातक के दावे के विपरीत है, वहां धारा 17 (5) में दिए गए प्रवेश पत्र या शिपिंग बिल के निर्धारण की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोलने वाला आदेश पारित किया जाएगा।

33. वित्त द्वारा संशोधित धारा 17 के प्रावधानों के तहत

2011 के अधिनियम, धारा 17 (1) में आयातक या निर्यातक द्वारा ऐसी वस्तुओं पर शुल्क का स्व-आकलन करने का प्रावधान किया गया है। स्व-मूल्यांकन धारा 2 (2) की संशोधित परिभाषा के अनुसार एक मूल्यांकन है। यह भी प्रावधान किया गया है कि उचित अधिकारी ऐसी वस्तुओं के स्व-मूल्यांकन को सत्यापित कर सकते हैं, और इस उद्देश्य के लिए, किसी भी आयातित वस्तु या निर्यातित वस्तु या उसके ऐसे हिस्से की जांच या परीक्षण कर सकते हैं जो आवश्यक हो। स्व-मूल्यांकन को सत्यापित करने की शक्ति उचित आई. टी. सी. लिमिटेड v. के पास निहित है।

अधिकारी और धारा 17 (3) के तहत उस उद्देश्य के लिए, वह आयातक, निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकता है और

ऐसी जानकारी, आदि प्रदान करें। यदि सत्यापन पर उचित अधिकारी ने

35. वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधन से पहले अधिनियम की धारा 27 में धनवापसी प्रक्रिया का प्रावधान था। कोई भी व्यक्ति शुल्क और ब्याज की वापसी का दावा कर सकता है यदि इस तरह के शुल्क पर कोई भुगतान किया गया हो। शुल्क और ब्याज की वापसी यदि मूल्यांकन के आदेश के अनुसार कोई भुगतान किया गया है या उसके द्वारा वहन किया गया है, तो सहायक आयुक्त को ऐसे शुल्क की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या सरकार द्वारा या किसी शैक्षणिक, अनुसंधान या धर्मार्थ संस्थान या अस्पताल द्वारा किए गए किसी भी आयात के मामले में एक वर्ष के भीतर सीमा शुल्क या सीमा शुल्क उपायुक्त। अन्य किसी भी मामले में शुल्क और ब्याज के भुगतान की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले। उसे आगे यह संतुष्ट करना होगा कि उसने इस तरह का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया है। एक वर्ष या छह महीने की सीमा लागू नहीं होगी जहां कोई शुल्क और ब्याज का भुगतान किया गया है।

विरोध में। धारा 27 के दूसरे परंतुक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि निर्णय के परिणामस्वरूप धनवापसी आवश्यक हो जाती है, अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी भी न्यायालय की डिक्री, आदेश या निर्देश, एक वर्ष या छह महीने की सीमा ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश की तारीख से शुरू होगी।

9] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी शुल्क या ब्याज की वापसी का दावा करता है

उसके द्वारा भुगतान किए गए या वहन किए गए, सहायक या सहायक को ऐसे धनवापसी के लिए निर्धारित किए गए प्रपत्र और तरीके से आवेदन कर सकते हैं।

सीमा शुल्क आयुक्त ऐसे शुल्क या ब्याज के भुगतान की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले। यदि वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले धनवापसी के लिए आवेदन किया गया है, तो इसे धारा 27 (1) के प्रावधान के तहत दायर किया गया माना जाता है और धारा 27 (2) के तहत निपटाया जाता है। धारा 27 के प्रावधानों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष की सीमा की अवधि की गणना उन वस्तुओं के मामले में की जानी चाहिए जिन्हें धारा 27 (1 बी) (ए) में दिए गए आदेश के जारी होने की तारीख से धारा 25 (2) के तहत जारी विशेष आदेश द्वारा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। जहां अपील के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश के परिणामस्वरूप शुल्क वापसी योग्य हो जाता है।

प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी भी न्यायालय, एक वर्ष की सीमा की गणना ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश की तारीख से की जाएगी।

धारा 27 (1 बी) (सी) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां धारा 18 के तहत किसी भी शुल्क का भुगतान अस्थायी रूप से किया जाता है, वहां एक वर्ष की सीमा की गणना निम्नलिखित से की जाएगी -

शुल्क के समायोजन की तिथि उसके अंतिम मूल्यांकन के बाद या

पुनर्मूल्यांकन का मामला, इस तरह के पुनर्मूल्यांकन की तारीख से। धारा 27 का दूसरा परंतुक यह स्पष्ट करता है कि 1 वर्ष की सीमा नहीं होगी।

जहां विरोध के तहत कोई शुल्क या ब्याज का भुगतान किया गया है, वहां आवेदन करें।

37. धारा 27 (2) (ए) के तहत आवेदक को यह संतुष्ट करना अनिवार्य है कि शुल्क या ब्याज की राशि जिसका धनवापसी भुगतान किया गया है। दावा किया गया कि उनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया था, इस प्रावधान का उद्देश्य अन्यायपूर्ण संवर्धन को रोकना है।

38. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अभिव्यक्ति जो पहले धारा 27 (1) (i) में उपयोग की गई थी कि "मूल्यांकन के आदेश के अनुसरण में" को स्व-मूल्यांकन के रूप में प्रावधान की शुरूआत के कारण धारा 27 के संशोधित प्रावधान से हटा दिया गया है। हालाँकि, चूंकि स्व-मूल्यांकन फिर भी मूल्यांकन का एक क्रम है, इसलिए उपरोक्त अभिव्यक्ति को हटाकर कोई अंतर नहीं किया जाता है क्योंकि कोई अलग तर्कपूर्ण मूल्यांकन आदेश नहीं है।

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड v में इस न्यायालय द्वारा देखे गए स्व-मूल्यांकन के मामले में पारित किया जाना आवश्यक है। भारत संघ और अन्य। (ऊपर)।

39. केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कानपुर बनाम। झुंड (भारत)

प्रा. लिमिटेड 2000 (120) ई. एल. टी. 285 (एस. सी.) = (2000) 6 एस. सी. सी. 650, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया प्रश्न गैर-चुनौती आई. टी. सी. लिमिटेड v था।

केंद्रीय आयोग के आयुक्त, कोलकाता IV [अरुण मिश्रा, जे.]

एक अपील योग्य आदेश जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने एक आदेश पारित किया था जो क़ानून के तहत अपील योग्य है, और पीड़ित पक्ष ने अपील दायर करने का विकल्प नहीं चुना था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह पक्ष के लिए इस आधार पर धनवापसी के लिए दावा दायर करके न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने आदेश पारित करने में त्रुटि की थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों पर विचार किया गया। न्यायालय ने कहा है:

" 10. जो सवाल उठाया जाता है उस पर आते हैं तो इसकी गुंजाइश बहुत कम है

संदेह के लिए कि एक मामले में जहां एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है

पास हो गया।

पीड़ित ने दाखिल करने के वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का विकल्प नहीं चुना एक अपील, यह पक्ष की शुद्धता पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं है

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का आदेश बाद में एक दाखिल करके

इस आधार पर धनवापसी का दावा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने

अपना आदेश पारित करने में त्रुटि की। यदि यह पद स्वीकार किया जाता है

तब अधिनियम और नियमों में निर्णय के लिए प्रावधान, अधिनियम और नियमों में अपील के लिए प्रावधान खो देंगे

प्रासंगिकता और पूरे अभ्यास को अनावश्यक बना दिया जाएगा। यह स्थिति, हमारे विचार में, अधिनियम की योजना के विपरीत होगी और

की पूरी प्रक्रिया में अनिश्चितता का एक तत्व पेश करेगा

उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रह। ऐसी स्थिति नहीं हो सकती मुखरता से। हमारे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी समर्थन प्राप्त करता है

नियम 11 के उप-नियम (3) में प्रावधान जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि

जबकि अपील या पुनरीक्षण में पारित किसी आदेश का परिणाम

अधिनियम, किसी भी शुल्क की वापसी किसी भी व्यक्ति के कारण हो जाती है, उचित

अधिकारी ऐसे व्यक्ति को उसके बिना राशि वापस कर सकता है।

उस ओर से कोई भी दावा करना। प्रावधान इंगित करता है कि

अधिनियम के तहत चुनौती नहीं दी जाती है तो आदेश उत्तरदायी नहीं है पूछताछ की जाती है और मामले को कार्यवाही में फिर से नहीं खोला जाना है

धनवापसी के लिए जो, यदि हम इसे ऐसा कह सकते हैं, की प्रकृति में है
एक डिक्री/आदेश का निष्पादन। हाथ में मामले में, यह विशेष रूप से था
सहायक कलेक्टर के आदेश में उल्लिखित है कि निर्धारिती
आदेश के खिलाफ कलेक्टर के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं (अपील)
यदि ऐसी सलाह दी जाती है। ”

(जोर दिया गया)

40. प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सीमा शुल्क आयुक्त

2004 (172) ई. एल. टी. 145 (एस. सी.) = (2005) 10 एस. सी. सी. 433, न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27 के असंबद्ध प्रावधान और

समान निवेदन उठाया गया था जिसे इस न्यायालय ने खारिज कर दिया था

यह कहते हुए कि जब तक मूल्यांकन का क्रम बना रहेगा, तब तक निर्धारण के उस क्रम के अनुसार कर्तव्य देय होगा। इस न्यायालय ने कहा है कि

" 6. हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। बस इस तरह का विवाद

फ्लॉक (इंडिया) मामले (2000) 6 में इस न्यायालय द्वारा नकार दिया गया है।

एससीसी 650। एक बार मूल्यांकन का आदेश पारित हो जाने के बाद कर्तव्य होगा

उस आदेश के अनुसार देय होगा। जब तक कि मूल्यांकन का वह क्रम नहीं है धारा 28 के तहत समीक्षा की गई और/या अपील में संशोधित किया गया,

वह आदेश कायम है। जब तक मूल्यांकन का क्रम बना रहता है

निर्धारण के उस क्रम के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा। रिफंड दावा एक अपील कार्यवाही नहीं है। अधिकारी धन वापसी पर विचार कर रहा है

सक्षम व्यक्ति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर दावा अपील में नहीं बैठ सकता है।

अधिकारी। धनवापसी के दावे पर विचार करने वाला अधिकारी भी समीक्षा नहीं कर सकता है।

एक मूल्यांकन आदेश। 7. हम इस तर्क में भी कोई सार नहीं देखते हैं कि

अपील दायर किए बिना। यहां तक कि आबकारी के तहत धारा 11 के तहत भी अधिनियम, धनवापसी के लिए दावा छह की अवधि के भीतर दायर किया जाना था

महीनों तक। फ्लॉक (भारत) के मामले (ऊपर) में यह अभी भी माना जाता था कि अपील की अनुपस्थिति में कोई धनवापसी का दावा दायर नहीं किया जा सकता है

बनाया गया।

8. केवल "मूल्यांकन के आदेश के अनुसरण में" शब्द

उस पक्ष/व्यक्ति को इंगित करें जो धनवापसी का दावा कर सकता है। में।

दूसरे शब्दों में, वे एक ऐसे व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं जिसने अनुसरण में कर्तव्य का भुगतान किया है धनवापसी का दावा करने के लिए मूल्यांकन का आदेश। ये शब्द करते हैं

इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते हैं कि मूल्यांकन के आदेश के बिना अपील में संशोधित किया गया हो या धनवापसी के दावे की समीक्षा की गई हो

इसे बनाए रखा जा सकता है। "

(जोर दिया गया)

41. धनवापसी के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि यह कमोबेश है

निष्पादन कार्यवाहियों की प्रकृति। यह प्राधिकरण के लिए खुला नहीं है

एच योग्यता पर एक नया मूल्यांकन करने के लिए धनवापसी की प्रक्रिया करता है और गलती या अन्यथा के आधार पर सही मूल्यांकन।

42. यह तर्क दिया गया था कि स्व-मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है। धारा 128 के प्रावधान अपीलों से संबंधित हैं -

आयुक्त (अपील)। किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति 60 दिनों के भीतर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है। देरी को और 30 दिनों के लिए माफ करने का प्रावधान है। धारा 128 के प्रावधानों को नीचे निकाला गया हैः

" 128. [आयुक्त (अपील)] को अपील। — (1) कोई भी व्यक्ति।

[प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त] से कम रैंक के सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित व्यक्ति, [आयुक्त (अपील)] [साठ दिनों के भीतर]

ऐसे निर्णय या आदेश के बारे में उसे सूचित करनाः

[बशर्ते कि आयुक्त (अपील), यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारण से रोका गया था

उपरोक्त साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करते हुए, इसे तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दें।]

[(1क) आयुक्त (अपील), यदि किसी अपील की सुनवाई के किसी भी चरण में पर्याप्त कारण दिखाया जाता है, तो समय-समय पर पक्षों या उनमें से किसी को समय दे सकता है और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अपील की सुनवाई स्थगित कर सकता हैः

बशर्ते कि अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को ऐसा कोई स्थगन तीन बार से अधिक नहीं दिया जाएगा।]

(2) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील ऐसे रूप में होगी और इस तरह से सत्यापित की जाएगी जो इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए। 43. आत्म-मूल्यांकन का क्रम फिर भी एक मूल्यांकन है।

अधिनियम के तहत पारित आदेश, जाहिर है कि यह किसी भी व्यथित व्यक्ति द्वारा अपील योग्य होगा। अभिव्यक्ति 'कोई भी व्यक्ति' व्यापक है।

आयाम। राजस्व, साथ ही निर्धारिती, मूल्यांकन के आदेश से व्यथित अपील को भी पसंद कर सकता है। यह न केवल पुनर्मूल्यांकन का आदेश है जो अपील योग्य है, बल्कि धारा 128 के प्रावधान अधिनियम के तहत किसी भी निर्णय या आदेश को अपील योग्य बनाते हैं, जिसमें स्वयं का निर्णय भी शामिल है।

मूल्यांकन। स्व-निर्धारण का आदेश धारा 2 (2) के अनुसार निर्धारण का एक आदेश है, इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति इससे व्यथित है तो यह अपील योग्य है। धारा 17 में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है कि सत्यापन के मामले में एक तर्कपूर्ण/बोलने वाला आदेश पारित किया जाए, आत्म-मूल्यांकन [2019] 13 एस. सी. आर. है।

संतोषजनक नहीं पाए जाने पर, धारा 17 (4) के तहत पुनर्मूल्यांकन का आदेश पारित किया जाना चाहिए। धारा 128 में एक बोलने वाले आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है, बल्कि "किसी भी आदेश" के खिलाफ है जो व्यापक आयाम का है। उच्च न्यायालय द्वारा नियोजित तर्क यह है कि चूंकि कोई एल. आई. एस. नहीं है, इसलिए कोई बोलने का आदेश पारित नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसी अपील झूठ नहीं होगी, कानून में टिकाऊ नहीं है, जो इस न्यायालय द्वारा एस्कॉर्ट्स (ऊपर) में दिए गए निर्णय के विपरीत है। 44. धारा 27 के तहत प्रावधानों को प्रवेश पत्र में संशोधन या संशोधन के अभाव में लागू नहीं किया जा सकता है, जिसके आधार पर स्व-मूल्यांकन किया गया है। अन्य में

शब्दों में, स्व-मूल्यांकन के आदेश का पालन तब तक किया जाना आवश्यक है जब तक कि धारा 27 के तहत धनवापसी के दावे पर विचार करने से पहले संशोधित नहीं किया जाता है। धनवापसी की कार्यवाही धनवापसी के लिए निष्पादन की प्रकृति में होती है। यह मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा, छूट का दावा करने के लिए अन्य शर्तें हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए, जैसा कि छूट अधिसूचना में दिया गया है। इनका अस्तित्व

आवश्यकताएँ भी साबित की जानी हैं जिन पर धन वापसी के प्रावधानों के दायरे में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। धनवापसी आवेदन को संसाधित करते समय, पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है और न ही छूट की शर्तों पर निर्णय लिया जा सकता है। संशोधित प्रावधानों की धारा 17 (3) (4) और (5) के तहत ही पुनर्मूल्यांकन की अनुमति है। संशोधन से पहले भी यही स्थिति थी। यह वस्तुतः मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के आदेश के बराबर होगा यदि सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क उपायुक्त को धनवापसी आवेदन से निपटने के दौरान पूरे मुद्दे पर निर्णय लेने की अनुमति दी जाती है जो धनवापसी के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

धारा 27 के तहत प्रावधान। हीरो साइकिल लिमिटेड v. भारत संघ 2009 (240) ई. एल. टी. 490 (बी. ओ. एम.) हालांकि उच्च न्यायालय ने कानून की गलती के तहत भुगतान किए गए शुल्क के धनवापसी आवेदन के मनोरंजन का निर्देश देने में हस्तक्षेप किया। हालाँकि, यह देखा गया कि मूल्यांकन के मूल आदेश में संशोधन आवश्यक है क्योंकि दावे की वापसी के लिए राहत उपलब्ध नहीं है जैसा कि इस न्यायालय ने प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) में कहा था।

45. केंद्रीय कार्यालय मेवाड़ पैलेस में सेवा कर के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी रिलायंस को रखा गया था।

ऑर्ग. वी. भारत संघ 2008 (12) एसटीआर 545 (राज.)। उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, वह भी सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं है।

46. इंटेक्स टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड में निर्णय v. यूनियन ऑफ इंडिया ने माइक्रोमैक्स (ऊपर) का अनुसरण किया है। द्वारा नियोजित तर्क

दिल्ली और मद्रास के उच्च न्यायालय सही प्रतीत नहीं होते हैं। धारा 27 के तहत धनवापसी के प्रावधानों का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसे धारा 17,18,28 और 128 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

47. जब हम वित्त अधिनियम, 2011 के तहत संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के प्रावधानों के समग्र प्रभाव पर विचार करते हैं, तो हमारी राय है कि धनवापसी के दावे पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि उचित कार्यवाही का सहारा लेकर मूल्यांकन या स्व-मूल्यांकन के आदेश को कानून के अनुसार संशोधित नहीं किया जाता है और यह नहीं होगा।

स्व-मूल्यांकन के आदेश को अलग करने और धनवापसी करने के कर्तव्य का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए धारा 27 के दायरे में होना चाहिए; और यदि कोई व्यक्ति

स्व-मूल्यांकन सहित किसी भी आदेश से व्यथित होने पर, उसे धारा 128 के तहत या अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आदेश को संशोधित करना होगा।

48. परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश (आदेशों) को बरकरार रखा जाना है और इसके विपरीत दिल्ली और मद्रास के उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेश (आदेशों) को रद्द किया जाना चाहिए। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। हम मानते हैं कि धनवापसी के लिए आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं थे। अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन